(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 905—तीन/14 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17.2.2014 के द्वारा अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, के प्रकरण क्रमांक 1265/अपील/2010—11.

———

राजकिशोर पिता श्री रामदत्त ब्राहम्ण
निवासी ग्राम रायपुर तहसील त्योंथर
जिला रीवा म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

1— राधेश्याम
2— श्याम सुन्दर
3— लक्ष्मीकांत तीनो के पिता
श्री गोविन्द प्रसाद ब्राहम्ण
निवासी ग्राम रायपुर तहसील त्योंथर
जिला रीवा म0प्र0 ——— अनावेदकगण

.....

श्री अभिताभ चतुर्वेदी , अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक तिवारी, अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आदेश दिनांक 15—5—2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1265/अपील/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 17.2.2014 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गोविन्द प्रसाद तनय परमेश्वरदीन ने तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन पेश किया कि अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 476/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 20.2.09 के परिपालन में वादग्रस्त भूमि में कब्जा दर्ज किया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 426/अ–6अ/08–09 आदेश दिनांक 3.4.10 में रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश पारित किया, जिससे दुखी होकर आवेदक राजकिशोर ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें आदेश दिनांक 25.7.2011 को अपील निरस्त की जिससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 17.2.14 को खारिज की गई इसी से दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहसी प्रस्तुत की है। तथा अपने तर्क में कहा है कि इस मामले से संबंधित प्रश्नाधीन आराजी खसरा कमांक 552 रकवा 0.405 है0 अर्थात 1.00 एकड़ स्थित ग्राम रायपुर तहसील त्यों थर जिला रीवा के 1/5 हिस्सा के भूमिस्वामी तथा आधिपत्यधारी रामसुन्दर व रामसिया पिता इन्द्रदेव तथा 1/6 हिस्सा के भूमिस्वामी तथा आधिपत्यधारी शेषमणि पिता रामदास व 126 के मालिक भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी बेवा बृजभूषण, रामप्रसाद, शिवप्रसाद, पिता बृजभूषण व राजमणि, राजकिशोर पिता रामदत्त एवं शेष 1/2 हिस्सा के मालिक भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी नन्दकुमार पिता छोटेलाल शंकरलाल राजकरण पिता हीरालाल थे व है। यह सभी व्यक्ति प्रश्नाधीन आराजी खसरा कमांक 552 के राजस्व अभिलेखों में पहले तथा अळी भी मालिक भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज भी होते चले आ रहे है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि प्रश्नाधीन आराजी खसरा कमांक 552 के उपरोक्त सहखातेदारों में किसी ने अथवा उनके पूर्वजों ने कभी भी प्रश्नाधीन आराजी खसरा कमांक 552 पर अनावेदकगणों का कोई कब्जा दखल ही कभी रहा और न अभी है। नवीन प्रविष्टि बिना किसी स्वत्व अर्जन के ही मनमानी तौर पर किया जाना स्पष्ट होता है जबकि कभी भी भूमिस्वामियों के द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तरण अनावेदकगणों के पक्ष में नहीं किया गया है जिससे भौतिक अधिपत्य के दर्ज भूमिस्वामियों की सहमति सूचना पक्षकार बनाये बगैर कोई भी इन्द्राज नहीं किया जा सकता

और पटवारी को ऐसा इन्द्राज करने का कोई अधिकार नहीं है फिर भी अनुविभागीय अधिकारी त्यौंथर एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के विधि तथ्य एवं साक्ष्यों पर विचार न करते हुये भूमिस्वामीयों के विरूद्व जो नवीन प्रविष्टि किया है वह हर हाल में रदद् योग्य हे तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25.7.2011 एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 17.2.2014 त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार करे अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 17.2.14 निरस्त किया जावे। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 116 के अधीन कोई नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती है और भूमिस्वामी के बिना हक अन्तरण के कोई कब्जे की कल्पना तक नहीं की जा सकती है जिससे जो प्रविष्टि में खसरे में किया जाना उल्लिखित किया गया है वह मौके के विरीप है और शुद्वीकरण योग्य है और धारा 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत सुधार योग्य है ओर राजस्व निर्णण 1970 पेज न0 16 में स्पष्ट विधान दिया गया है कि कैफियत कालम में कोई भी अधिपत्य स्वामित्व का द्योतक का कृषि का अधिकार नहीं है जिससे नवीन प्रविष्टि जो अनावेक के नाम की है वह निरस्त योग्य हैं तथा नीवन प्रविष्टि धारा 116 के अधीन नहीं की जा सकती है और ऐसी प्रविष्टि पटवारी के कर्तव्य लापरवाही की श्रेणी में आता है। अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 14.7.14 निरस्त कर आवेदक को न्यायदान दिया जावे।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया था। आदेश न्यायोचित है । जिन दस्तावेजों को निम्न न्यायालय द्वारा मान्य किया गया है उन्हें इस न्यायालय में मान्य करने के लिये विचार नहीं किया जाना चाहिये । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखने का अनुरोध किया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 116 में स्पष्ट प्रावधान है कि

यदि कोई व्यक्ति धारा 114 के अधीन तैयार किये गये भू–अभिलेखें में किसी प्रविष्टि से व्यथित होता है तो वह तहसीलदार को एक वर्ष के अन्दर आवेदन करेगां प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि में विवाद होने से पटवारी द्वारा समयाविध में प्रतिवेदन तहसीलदार को भेजा गया था और तहसीलदार द्वारा जांच कर आदेश पारित किया गया था जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.3.89 को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है इसलिये अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 1265/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 17.2.2014 आदेश विधि प्रावधानों से उचित प्रतीत होता है, इसलिये उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझाता हूँ । उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस किया जावे।

(एम0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर